निग0-4868/2018/रीवा/भू.रा.

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा,

जिला रीवा (म 0 प्र0)

विलोपित / विलोपित

श्यामलाल वर्मा तनय श्री रामकिशोर वर्मा उम्र 50 वर्ष पेशा –नौकरी व खेती निवासी ग्राम – हरदुआ तहसील –सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)–निगरानीकर्ता

बनाम

1:– दीपेन्द्र कुमार तनय श्री कृष्ण कुमार उम्र 25 वर्ष

2:– पुष्पेन्द्र कुमार तनय श्री कृष्ण कुमार उम्र 23 वर्ष

3:– कृपिण कुमार तनय श्री कृष्ण कुमार उम्र 20 वर्ष

4:– रामवती पत्नी श्री कृष्ण कुमार उम्र 50 वर्ष

5:– कृष्ण कुमार तनय श्री रामसिया ब्रा 0 उम्र 52 वर्ष

सभी निवासी ग्राम – हरदुआ तहसील – सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)

———————— गैरनिगरानीकर्तागण

अधि0 श्री आदित्य सिंह द्वारा पेश। 08-8-18

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्री मान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 द्वारा पारित प्रकरण कमांक 67 / अपील / 2004 / 05 मे पारित आदेश दिनांक 06 / 07 / 2018

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 सन 1959 ई 0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4868/2018/रीवा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14/5/19	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में प्ररकण विचाराधीन रहने के दौरान अतिरिक्त आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी दायर कर दी गई थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि चूंकि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है जिस कारण इस न्यायालय में चल रहे निगरानी प्रकरण को चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: प्रकरण उन्हें वापस किया जाए। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। तथा यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त करते हुए आवेदक अधिवक्ता को वापस किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	